

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक- 2.त0श10/योजना-16/2016 - 02/वजए

/राँची, दिनांक- 10/05/2022

प्रेषक,

के0के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-
सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत नये अभियंत्रण महाविद्यालय/झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा राजकीय पोलिटेकनिकों का निर्माण, पुराने पोलिटेकनिकों का जीर्णोद्धार, 200 शैययावाले महिला छात्रावास एवं राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका में 300 शैयया वाले छात्रावास के निर्माण से संबंधित PSU's द्वारा उपलब्ध कराये गये विपत्र के विरुद्ध भुगतान के लिए कुल रू0 40,00,00,000/- (रू0 चालीस करोड़) मात्र के निकासी हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- नये महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 30/योजना दिनांक 03.03.2016 (रामगढ़)- रू0 104,37,11,700/-; झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत्यादेश सं0 24/योजना दिनांक 04.01.2016- रू0 80,98,70,326/-; नये राजकीय पोलिटेकनिक के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 27/योजना दिनांक 10.03.2012, शुद्धि-पत्र सं0 40/योजना दिनांक 28.03.2012 एवं शुद्धि-पत्र सं0 05/योजना दिनांक 08.06.2012 (गढवा)- रू0 17,57,07,094/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 29/योजना दिनांक 10.03.2012, शुद्धि-पत्र सं0 42/योजना दिनांक 28.03.2012 एवं शुद्धि-पत्र सं0 07/योजना दिनांक 08.06.2012 (पाकुड़)- रू0 17,32,24,719/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 30/योजना दिनांक 10.03.2012, शुद्धि-पत्र सं0 43/योजना दिनांक 28.03.2012 एवं शुद्धि-पत्र सं0 08/योजना दिनांक 08.06.2012 (गोला)- रू0 18,20,17,154/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 26/योजना दिनांक 10.03.2012, शुद्धि-पत्र सं0 39/योजना दिनांक 28.03.2012 एवं शुद्धि-पत्र सं0 04/योजना दिनांक 08.06.2012 (गुमला)- रू0 17,57,07,094/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 28/योजना दिनांक 10.03.2012, शुद्धि-पत्र सं0 41/योजना दिनांक 28.03.2012 एवं शुद्धि-पत्र सं0 06/योजना दिनांक 08.06.2012 (बहरागोड़ा)- रू0 16,95,60,449/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 32/योजना दिनांक 10.03.2012, शुद्धि-पत्र सं0 45/योजना दिनांक 28.03.2012 एवं शुद्धि-पत्र सं0 10/योजना दिनांक 08.06.2012 (चांडिल)- रू0 17,40,29,390/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 31/योजना दिनांक 10.03.2012, शुद्धि-पत्र सं0 44/योजना दिनांक 28.03.2012 एवं शुद्धि-पत्र सं0 09/योजना दिनांक 08.06.2012 (जगनाथपुर)- रू0 17,42,58,792/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 22/योजना दिनांक 05.02.2015 (लोहरदगा)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 23/योजना दिनांक 05.02.2015 (पलामू)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 24/योजना दिनांक 05.02.2015 (चतरा)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 25/योजना दिनांक 05.02.2015 (मधुपूर, देवघर)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 26/योजना दिनांक 05.02.2015 (सिमडेगा)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 27/योजना दिनांक 05.02.2015 (खूंटी)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 28/योजना दिनांक 05.02.2015 (दुमका)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 29/योजना दिनांक 05.02.2015 (गिरिडीह)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 30/योजना दिनांक 05.02.2015 (गोडडा)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 31/योजना दिनांक 05.02.2015 (साहेबगंज)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 32/योजना दिनांक 05.02.2015 (हजारीबाग)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 33/योजना दिनांक 05.02.2015 (निरसा)- रू0 25,57,69,664/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 34/योजना दिनांक 05.02.2015 (जामताड़ा)- रू0 25,57,69,664/- एवं राजकीय पोलिटेकनिक के कैम्पस में 200 शैययावाले महिला छात्रावास के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 35/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा0पो0, राँची)- रू0 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 36/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा0मपो0, राँची)- रू0 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 37/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा0पो0, दुमका)- रू0 5,11,20,032/-;

श्री

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 38/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०पो०, भागा)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 39/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०पो०, निरसा)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 40/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०पो०, धनबाद)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 41/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०पो०, आदित्यपुर)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 42/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०म०पो०, जमशेदपुर)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 43/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०पो०, लातेहार)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 44/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०पो०, खरसावाँ)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 45/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०पो०, खुटरी)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 46/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०म०पो०, बोकारो)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 47/योजना दिनांक 05.02.2015 (रा०पो०, कोडरमा)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 54/योजना दिनांक 31.03.2015 (रा०पो०, गोला)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 55/योजना दिनांक 31.03.2015 (रा०पो०, बहरागोडा रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 56/योजना दिनांक 31.03.2015 (रा०पो०, चांडिल)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 57/योजना दिनांक 31.03.2015 (रा०पो०, जगन्नाथपुर)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 58/योजना दिनांक 31.03.2015 (रा०पो०, गढ़वा)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 59/योजना दिनांक 31.03.2015 (रा०पो०, गुमला)- रू० 5,11,20,032/-; विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 60/योजना दिनांक 31.03.2015 (रा०पो०, पाकुड़)- रू० 5,11,20,032/-; राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका में 300 शैय्या वाले छात्रावास के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 07/योजना दिनांक 19.05.2016 - रू० 8,80,16,200/-; बी०आई०टी० सिन्दरी के कैम्पस एवं भवनों में विद्युत से संबंधित कार्य हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 25/योजना दिनांक 09.01.2016 - रू० 7,80,26,000/-; बी०आई०टी० को सुदृढ़ करने हेतु इसके Rejuvenation कार्य हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 32/योजना दिनांक 16.03.2016 - रू० 69,65,63,600/-; बी०आई०टी० सिन्दरी को सुदृढ़ करने हेतु इसके Campus में कुल 12 नये निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत्यादेश सं० 34/योजना दिनांक 18.03.2016- रू० 78,67,52,4000/-; राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत्यादेश सं० 27/योजना दिनांक 21.01.2016 शुद्धि-पत्र सं० 35/योजना दिनांक 31.03.2016- रू० 5,55,07,402/-; 09/योजना दिनांक 02.06.2016 राजकीय पोलिटेकनिक, राँची का जीर्णोद्धार - रू० 7,69,48,800/-; 11/योजना दिनांक 10.06.2016 राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो का जीर्णोद्धार - रू० 11,81,21,000/-; 14/योजना दिनांक 29.07.2016 राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी का जीर्णोद्धार- रू० 13,90,58,000/-; 15/योजना दिनांक 29.07.2016 राजकीय पोलिटेकनिक कोडरमा का जीर्णोद्धार- रू० 10,95,33,000/-, 16/योजना दिनांक 24.08.2016 राजकीय पोलिटेकनिक खरसावाँ का जीर्णोद्धार- रू० 1,08,12,000/-; 17/योजना दिनांक 24.08.2016 राजकीय पोलिटेकनिक दुमका का जीर्णोद्धार- रू० 7,44,19,500/-; 21/योजना दिनांक 19.10.2016 राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर का जीर्णोद्धार - रू० 4,86,81,300/-; 23/योजना दिनांक 19.10.2016 राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद का जीर्णोद्धार - रू० 7,33,57,800/-; 25/योजना दिनांक 17.11.2016 राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार का जीर्णोद्धार - रू० 4,98,03,250/-; अभियंत्रण महाविद्यालय, कोडरमा के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 35/योजना दिनांक 30.01.2017 - रू० 100,72,20,400/-, अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के निर्माण हेतु स्वीकृत्यादेश सं० 07/योजना दिनांक 19.06.2017 - रू० 100,48,94,000/-, राजकीय पोलिटेकनिक, जयनगर (कोडरमा) के निर्माण हेतु स्वीकृत्यादेश सं० 12/योजना दिनांक 12.07.2019 - रू० 57,96,00,000/- ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक कुल बासठ योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृत्यादेशों के द्वारा कुल रू०. 12,45,99,67,365/- की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० ०४/योजना दिनांक १०.०५.२०१२ के आलोक में विभाग अन्तर्गत निर्माणाधीन संबंधित विभिन्न संस्थानों के किये गये कार्य के विरुद्ध विपत्र जो भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्माण उपक्रम NPCCL, NBCCL, EPIL, UPRNNL, JSBCCL द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, के भुगतान के लिए कुल 40,00,00,000/- (रू० चालीस करोड़) मात्र के निकासी हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



2. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटैकनिक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि रु0 66,60,00,000/- में से कुल रु0 30,00,00,000/- (रु0 तीस करोड़) मात्र विकलनीय होगा। विपत्र कोड - 43S42020210506010545
3. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष-06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटैकनिक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि रु0 23,40,00,000/- में से कुल रु0 10,00,00,000/- (रु0 दस करोड़) मात्र विकलनीय होगा। विपत्र कोड - 43S42020279606010545
4. निर्माण कार्य से संबंधित प्राप्त विपत्र/मांग का भुगतान हेतु आदेश सक्षम स्तर से प्राप्त कर विपत्र की राशि की निकासी हेतु स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा।
5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय। यह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जवाबदेही होगी।
7. अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्माण से संबंधित विपत्र/मांग के आधार पर राशि की निकासी कर बैंक एकाउन्ट/पीओएल0 एकाउन्ट के माध्यम से संबंधित PSU's (भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्माण उपक्रम) को उपलब्ध करायेंगे।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायगी।
11. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(के0 के0 खण्डेलवाल)

अपर मुख्य सचिव

10/05/2022

ज्ञापांक- 2.त0शि0/योजना-16/2016 - 02/बजट

राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

10/05/2022

ज्ञापांक- 2.त0शि0/योजना-16/2016 - 02/बजट

राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/महाप्रबंधक, एन0बी0सी0सी0 लिमिटेड, 401, मंगल टावर, कौंटा टोली, राँची/उप महाप्रबंधक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि0, फर्स्ट फ्लोर, 34/सी0 अशोक नगर, रोड नं0 01, राँची, झारखण्ड/जॉनल मैनेजर, NPCCL, अशोक नगर, राँची/परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, 168-सी0, अशोक नगर, राँची/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/सहायक निदेशक-II को Upload करने हेतु/बजट शाखा/लेखा शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र प्रसाद बर्णवाल)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

(रविशंकर)
अवर सचिव

(डॉ0 अरुण कुमार)
निदेशक

अपर मुख्य सचिव